तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शेष रकबा 2.22 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र रामनाथ के हिस्से में मुताबिक नक्शा ट्रेस रहेगी। ख.नं. 960 रकबा 0.14 ख.नं. 960/1542 रकबा 0.03 हेक्टेयर किता-2 योग रकबा 0.17 हेक्टेयर भूमि पर मौके पर रास्ता होने से शामलाती खाते में रहेगी। विकरहन यथावत रहेगा। वादी द्वारा 100/- रुपये का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करने पर अंतिम डिक्री जारी हो पत्रावली दिनांक 29-4-21 को पेश हो। पुनश्च वरवाय रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई पत्रावली 29-4-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	
29-4-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19-5-21 को पेश हों। कोविड।	
19-5-21	पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 महामारी के कारण कोई कार्यवाही स्थगित चल रही है वास्ते पेश करने नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प व आदेश शामिल पत्रावली 1-7-21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.12 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
1-7-21	पत्रावली पेश हुई बटवारा कमिश्नर तहसीलदार की प्राथमिक बटवारा रिपोर्ट के अनुसार आदेश डिक्री जारी की गई। पत्रावली पर शेष कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.12 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

दावा संख्या 46/2016 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 21.06.2016 गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. रामचरण आत्मज श्री रामनाथ जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– वादी –

बनाम

1. भंवरलाल आत्मज श्री रामनाथ जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. बैंक ऑफ बडोदा शाखा लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी जरिये प्रबन्धक
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लाखेरी जिला बून्दी जरिये प्रबन्धक
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रतिवादीगण –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23-1-2019

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 40 खसरा नं0 953 रकबा 1.97 हैक्टयर, खसरा नं0 954 रकबा 2.46 हैक्टयर, खसरा नं0 955 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नं0 960 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नं0 960/1542 रकबा 0.03 हैक्टयर किता 5 कुल रकबा 4.61 हैक्टयर वाके ग्राम डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी नं0 1, 1/2 एवं 1/2 भाग के खातेदार कृषक हैं वास्ते प्रमाण नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 वाद पत्र के साथ पेंश है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 भाग का है और वादी व प्रतिवादी बाहमी रजामंदी से अपने हिस्से पर अलग अलग कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड में बटवारा नही होने से कृषि भूमि का विकास करने व लगान, पिलाई जमा करवाने में, कृषि साख सुविधा लेने में परेशानी आती है। वादी ने वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बटवारा करवा कर खाता राजस्व रिकार्ड में अलग करवाने के लिये प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी [illegible] के लिये तैयार नही है। अन्तिम बार दिनांक 01.05.2016 को भी [illegible] तहसील मे चलकर बटवारा करवाने का निवेदन किया [illegible] स्पष्ट मना कर दिया और प्रतिवादी ने वादी की कृषि भूमि [illegible] कर दिया जब कि प्रतिवादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.12 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

ऐसा कहने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि सहखतेदारी कृषि भूमि का विधिवत बटवारा करवाकर पृथक से खाता कायम करवाये और अन्त में निवेदन किया कि वादी की कृषि भूमि का पृथक से खाता कायम करने की डिक्री फरमायी जावें।

जिस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि कब्जे अनुसार वादी व प्रतिवादी का बटवारा किया जावे। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2068–2071, जमाबन्दी खसरा गिरदावरी सम्वत 2072 पेश किये है।

वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दिनांक 23.01.2019 को मुताबिक जमाबन्दी एवं कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी व प्रतिवादी की सहमति से प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। ग्राम डडवाडा की कथोनी संख्या 40 खसरा नं0 953 रकबा 1.97 हैक्टयर, खसरा नं0 954 रकबा 2.46 हैक्टयर, खसरा नं0 955 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नं0 960 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नं0 960/1542 रकबा 0.03 हैक्टयर किता 5 कुल रकबा 4.61 हैक्टयर वाके ग्राम डडवाडा तहसील इन्द्रगढ में निहित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का पृथक पृथक विधिवत बटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार इन्द्रगढ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। साथ ही निर्देश दिये जाते है कि वह पक्षकारान को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मण्डल बटवारा नियम 18 से 21 व धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का मध्यनजर रखते हुये एवं रास्ते का निर्धारण करते हुये विधिवत प्राथमिक बटवारा कर पालना रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के दिनांक 06.03.2019 से पूर्व न्यायालय मे पेश करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.12 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम.....................लाखेरी.........................
व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)..
1 रामचरण आ0 रामनाथ जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह (वादी)

बनाम 1 भंवर लाल आ0 रामनाथ जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 53,188 आर0 टी0 एक्ट ....

मुकदमा नम्बर.....................................46/दावा/2016.............................सन..................2019..............
.........यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.........हमरे...व हाजिरी

.....श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दई रूबरू..................पैरोकार सरकार.....................
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तिम डिकी किया जाता है कि बंटवारा कमिश्नर तहसीलदार इन्द्रगढ की रिपोर्ट के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या नया 49 पुराना 40 वाके ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वर्णित आराजी खसरा नं0 953/2 में से रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 954 में से रकबा 1.48 है0 कुल किता 2 योग रकबा 2.22 है0 वादी के हिस्से में रहेगी। एवं खसरा नं0 953/2 में से रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 954 रकबा 0.98 है0, खसरा नं0 955 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 योग रकबा 2.22 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रहेगी। एवं खसरा नं0 960 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 960/1542 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 योग रकबा 0.17 है0 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/ . 1/2 रहेगा। राहिन बादस्तूर जमाबन्दी रहेगा। ....
.... निज.......................................मुबलिग...बाबत.......................
.....................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......05......माह.. ..07... सन... 2021......................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.12 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2. बैक ऑफ बडौदा शाखा लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी जर्ये प्रबन्धक

3 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लाखेरी जिला बून्दी जर्ये प्रबन्धक

4 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.12 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner